

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... बनाम .....  
 प्रकरण संख्या ...../ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर प जो इस पालना
12 7/22	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राचीन पत्र नोटिस करने पर प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधिवत्ता दिनांक 07/09/21 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर गम्बर से काम होकर वापिस निकाल लो।</p>	

*Noted*  




  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर

